कमिश्नर वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश

उपस्थित	**श्री हिमांशु कुमार, कमिश्नर वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश।**
प्रार्थी	**सर्वश्री शिल्पा एजेन्सी, 73 / 32-ए, कोपरगंज, कानपुर।**
प्रार्थना पत्र संख्या	**91 / 10**
प्रार्थी की ओर से	**श्री प्रदीप कुमार अग्रवाल, अधिवक्ता।**

उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 की धारा-59 के अन्तर्गत निर्णय

1. सर्वश्री शिल्पा एजेन्सी, 73 / 32-ए, कोपरगंज, कानपुर द्वारा वाणिज्य कर अधिनियम की धारा-59 के अन्तर्गत प्रार्थना-पत्र संख्या-91 / 10, दिनांक 06.09.10 प्रस्तुत किया गया जिसमें निम्नलिखित प्रश्न निर्णय हेतु उल्लिखित है :-

तकिया जो रूई व सिन्थेटिक फाइबर से भरी रहती है उस पर कर की दर क्या होगी ?

2. प्रार्थना-पत्र की सुनवाई हेतु विद्वान अधिवक्ता श्री प्रदीप कुमार अग्रवाल, उपस्थित हुए और कहा कि तकिया कपड़े का बना होता है इसके अन्दर रूई सिन्थेटिक फाइबर भरा रहता है इसलिए Textile made ups. की श्रेणी में आता है। उत्तर प्रदेश वैट अधिनियम की अनुसूची-II, पार्ट-ए के क्रमांक-16 के अन्तर्गत इन्ट्री Bed sheets (other then unstitched bed sheets), pillow cover and other Textile made ups. पर 4% की दर से करदेयता है। यह भी कहा कि मेसर्स लघु उद्योग भारती, 59 इण्डस्ट्रियल स्टेट, कालपी रोड, कानपुर के धारा-59 में दिये गये निर्णय में कपड़े से बने टेन्ट को कपड़ा की श्रेणी में माना गया। मेसर्स रेमण्ड लि0 (सेल डिपार्टमेन्ट) 311, सिटी सेन्टर, दि माल, कानपुर के धारा-59 के निर्णय में तकिये को Textile made up की श्रेणी में मानते हुए 4% की दर से करदेयता मानी गयी। अन्त में मेसर्स मैफेयर इण्टर प्राइजेज, जी-23, न्यू मुमताज मार्केट, राम कृष्ण पार्क, लखनऊ के धारा-59 के निर्णय दिनांक 29.02.08 का तर्क लेते हुए प्रार्थना-पत्र को स्वीकार करने का अनुरोध किया गया।

3. एडीशनल कमिश्नर, ग्रेड-1, वाणिज्य कर, कानपुर जोन-प्रथम, के पत्रांक-2548, दिनांक 05.10.10, एवं ज्वाइन्ट कमिश्नर (कार्यपालक) वाणिज्य कर, कानपुर सम्भाग-बी के पत्र संख्या-1696, दिनांक 29.09.10 द्वारा आख्या प्रेषित की गयी है। आख्या में कहा गया कि Webster के शब्द कोष में Pillow को परिभाषित किया गया-A cloth case filled with feathers, down, air, etc. इस प्रकार (Pillow), other Textile made ups. के अन्तर्गत नहीं आता है। other Textile made ups. के अन्तर्गत वे वस्तुएं आती हैं जिनमें पूर्णत: cloth का प्रयोग होता है।

4. प्रस्तुत कर्ता अधिकारी द्वारा अपनी आख्या में कहा गया है कि जिस तकिये के बारे में कर दायित्व पूछा जा रहा है वह तकिया रूई व सिन्थेटिक फाइबर से पूर्ण रूप से भरी है। उत्तर प्रदेश वैट अधिनियम की अनुसूची-II, पार्ट-ए की प्रविष्टि संख्या-16 पर Bed sheets (other then unstitched bed sheets), pillow cover and other Textile made ups. का उल्लेख है। जिस पर 4% की दर से करदेयता है। इस प्रविष्टि में pillow cover सम्मिलित है। जबकि तकिया pillow cover से भिन्न वस्तु है और इस पर उत्तर प्रदेश वैट अधिनियम के अन्तर्गत अवर्गीकृत वस्तु की भाँति करदेयता होगी।

.........2

5. मेरे द्वारा व्यापारी के धारा-59 के प्रार्थना-पत्र में अंकित तथ्यों, प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत तर्कों, एडीशनल कमिश्नर, ग्रेड-1, वाणिज्य कर, कानपुर जोन-प्रथम की आख्या का अवलोकन किया गया। व्यापारी द्वारा जिन न्यायिक निर्णयों का हवाला दिय गया उनके तथ्य प्रश्नगत मामले से भिन्न हैं। क्योंकि प्रश्नगत मामले में तकिया पूर्ण रूप से रूई या सिन्थेटिक फाइबर से भरी होती है। उत्तर प्रदेश वैट अधिनियम के शिड्युल-II, पार्ट-ए के क्रमांक-16 पर Bed sheets (other then unstitched bed sheets), pillow cover and other Textile made ups. पर 4% की करदेयता है। इसी प्रकार Readymade Garment Unfilled Rajai पर भी 4% की दर से करदेयता है। इस प्रकार स्पष्ट है कि Pillow Cover जो कपड़े का बना है जिसमें रूई व सिन्थेटिक फाइबर नहीं भरा है वह 4% की दर से करयोग्य है। तकिया पूर्ण रूप से रूई या सिन्थेटिक फाइवर से भरी होती है जो other Textile made ups के अन्तर्गत नहीं आती है।

अत: तकिया पर उत्तर प्रदेश वैट अधिनियम, 2008 की अनुसूची-V के अन्तर्गत अवर्गीकृत वस्तु की भाँति 12.5% की दर से करयोग्य होगी। अतिरिक्त कर विधि अनुसार होागा।

6. प्रार्थी के द्वारा प्रस्तुत धारा-59 के प्रार्थना-पत्र में उल्लिखित प्रश्न का उत्तर उपरोक्तानुसार दिया जाता है।

7. उपरोक्त की एक प्रति व्यापारी, कर निर्धारण अधिकारी व कम्प्यूटर में अप लोड करने हेतु मुख्यालय के आई0 टी0 अनुभाग को प्रेषित कर दी जाय।

दिनांक 31 अगस्त, 2012

ह0 / 31.08.2012

(हिमांशु कुमार)

कमिश्नर, वाणिज्य कर,

उत्तर प्रदेश, लखनऊ।